भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2012

उत्तर देने की तारीख: सोमवार,13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

स्मारकों के अनुरक्षण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी

2012. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरु करने की है ;

(ख) भारत और विशेष रुप से महाराष्ट्र में असंरक्षित विरासत भवनों, स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और ऐतिहासिक भवनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा सांस्कृतिक अनुसंधान में समन्वय और प्रशिक्षण के विस्तार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार और विशेष रुप से महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। स्मारक मित्र स्कीम के अंतर्गत सरकार ने कारपोरेट सेक्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने पुरानी स्मारक मित्र स्कीम को अडॉप्ट अ हैरिटेज 2.0 के रुप में उसका नवीकरण करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं और अवसंरचनाएं उपलब्ध कराना, उनका विकास और रख-रखाव करना है ।

(ख): महाराष्ट्र सहित देश में अभी तक प्रलेखित स्मारकों/स्थलों और ऐतिहासिक भवनों का ब्यौरा वेवसाइट http:/nmma.nic.in पर उपलब्ध है ।

(ग): बेहतर समन्वय के लिए राज्य सरकारों के साथ समय- समय पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जाती है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गाइडों और पर्यटक सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य–वार जारी की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 13.03.2023 को उतरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 के भाग (घ) के उतर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के माध्यम से जारी राशि का राज्यवार विवरण

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	असम	11.18	----	----	----	----
2.	बिहार	57.60	264.48	----	15.99	----
3.	दिल्ली	17.69	317.73	----	----	----
4.	गोवा	----	----	----	1.00	----
5.	गुजरात	----	----	----	2.41	----
6.	हिमाचल प्रदेश	20.00	----	----	----	----
7.	कर्नाटक	12.40	5.49	4.69	55.31	295.83
8.	मध्य प्रदेश	100.62	197.19	940.17	1063.95	553.13
9.	महाराष्ट्र	170.46	27.51	16.82	1.01	26.64
10.	ओडिशा	2275.81	1706.20	1044.36	386.88	----
11.	राजस्थान	201.09	11.03	----	17.29	----
12.	तमिलनाडु	----	----	2.58	260.85	153.64
13.	उत्तर प्रदेश	133.44	99.11	60.39	43.41	12.94
*	मैसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा प्रदीप्तिकरण के लिए	61.32	241.22	53.14	23.76	74.54

*****